(c) if so, the details thereof; and

(d) what other steps Government now propose to take to make judiciary effective?

THE MINISTER OF STATE IE THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) The Bar Council of India has not made any recommendation to the Government regarding strengthening of the common man's faith in the judicial system. However in a letter written under the directions of the Chairman of the council views have been given about deteriorating standards in the judiciary.

(d) A meeting of the Chief Ministers and Chief Justices of High Courts was held on 4th December, 1993 under the Chairmanship of Prime Minister of India to consider the problem of arrears of cases in courts and to find out ways and means to deal with it as expeditiously as possible. The conference adopted several resolutions with a view to providing speedy and cheaper justice to all the litigants. These resolutions have been forwarded to all the State Governments/UT Administrations, High Courts & Central Ministries/Departments for necessary action.

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त किये गये परियोजना प्रस्ताव

5966. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से 31 जनवरी, 1994 तक प्राप्त हुये गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों का जिलेवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को जिलेवार स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) बायोगैस, उन्नत चूल्हों और सौर कुकरों के जारी विस्तार कार्यक्रमों के अलावा मध्य प्रदेश सरकार से ग्यारह प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जिनमें छोटी पन-बिजली विद्युत परियोजनायें, सौर प्रकाश-वोल्टीय प्रणालियां, सौर तापीय प्रणालियां और पवन मानीटरिंग परियोजनायें शामिल है ।

(ख) और (ग) बेतुल, सिओनी, मुरैना और बिलासपुर जिलों में छोटी पन-बिजली विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिये छः प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सौर तापीय प्रणालियों के 2912 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र की संस्थापना और 300 सौर लालटेनों को भी मंजूरी दी गई है । प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिये दो प्रस्तावों में से इस कार्यक्रम के लिये सीमित बजटीय संसाधनों को देखते हुये 1993–94 के दौरान विदिशा जिले में केवल एक संयंत्र की संस्थापना को मंजूरी दी गई है । राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 अतिरिक्त पवन मानीटरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिये परियोजना को भी मंजूरी दी गई है ।

Electricity through non-conventional Energy in Gujarat

5967. SHRI ANANTRAY DEVSHANKAR DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the efforts made to produce electricity through non-conventional Energy Sources in Gujarat;

(b) the amount provided during the last two years for the development of non-conventional energy sources in the State;

(c) the quantum of electricity likely to be produced through non-con-